25/10/23

पत्रावली दि. 19-4-2023 को प्रस्तुत न होकर आज पेश हुई। वकील वादी पक्ष श्री दिनेश गहलोत उप.। प्रतिवादी सं 1 के काबु के अधिवक्ता श्री कृष्ण सुथार उप.। दोनो पक्षो के वकुलाय ने जाहिर किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के काबु द्वारा दिनांक 19-4-2023 को न्यायालय कक्षा में मय अधिवक्तागणो के व्यक्तिशः उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया था। जिस राजीनामा के आधार पर दोनो पक्ष वाद की डिक्री कराये जाने बाबत सहमत होने से राजीनामा को रिकॉर्ड पर लिया जाकर माफिक राजीनामा दि. 19-04-23 के वाद

अ.नि. भक्ती

आोटी

अ२।के
(Identifying ...)

को डिक्री किये जाने की दलील दी। पत्रावली व

उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वाद पत्र

के अवलोकन से ज्ञात है कि वादीगण व प्रतिवादी सं.

01 स्वर्गीय देवा के काम्पु है तथा स्व. देवा का वादग्रस्त

भूमि मे 1/2 हिस्सा दर्ज था जिसको प्रतिवादी सं. 01

के काम्पु के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण से दर्ज कर

देने तथा वादीगण भी उक्त 1/2 हिस्सा में बराबर के

हकदार होने से उक्त घोषणा, खातेदारी व विभाजन

का वाद पेश किया गया। उक्त वाद में अब चूंकि

देवा के काम्पु वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के काम्पु

लोक अदालत की भावना से 1/2 हिस्सा में नाम दर्ज

करवाने हेतु सहमत है अतः राजीनामा दिनांक 19-4-2023

के अनुसार वाद को डिक्री किया जाता है प्रस्तुत

राजीनामा को रिकार्ड पर लिया जाता है राजीनामा दि.

19-4-2023 निर्णय व डिक्री का भाग माना जावे।

इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार

होकर नंबर से कम हो।

SDO

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

वादी अधिवक्ता

प्रति. प्र.
101, 102, 10
अधिवक्ता

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
इजलास श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

वादीगण :–

1 श्रीमति भली पुत्री देवा(पत्नि धरमाजी) जाति मीणा निवासी–सेणा हाल कागदडा तहसील बाली जिला पाली राज.
2 श्रीमति कन्या पुत्री देवा(पत्नी तारारामजी) जाति मीणा निवासी–सेणा हाल पुराडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. चुना पुत्र देवा के का.मु. वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगणः–
   1/1– अशोक पुत्र चूना
   1/2– गुगाराम पुत्र चूना
   1/3– ओटी पुत्री चूना (धर्मपत्नि) जातिगण मीणा निवासीगण–सेणा तहसील–बाली जिला पाली (राज.)

2. हकमा पुत्र ईब्बा उर्फ देवा के का.मु. वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण :–
   (अ) कालाराम पुत्र हकमा
   (ब) धीराराम पुत्र हकमा
   (स) भोमाराम पुत्र हकमा
   (द) रताराम पुत्र हकमा तमाम आयु से वयस्क एवं जातिगण– मीणा निवासीगण–सेणा तहसील बाली, जिला–पाली (राज.)
   (य) सीमा पुत्री हकमा (धर्मपत्नि वेलाराम निवासी मालनू जाति–मीणा निवासी–सेणा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

3. स्व. मोटा पुत्र ईब्बा उर्फ देवा के का.मु. वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण :–
   (अ) कस्तु पत्नि मोटा
   (ब) दिनेश पुत्र मोटा तमाम आयु से वयस्क एवं जातिगण– मीणा निवासीगण–सेणा तहसील– बाली, जिला पाली (राज.)
   (स) नन्दा पुत्री मोटा (धर्मपत्नि रमेश कुमार) निवासी–सेणा हाल निवासी– लुन्दाडा तहसील–बाली जिला पाली (राज.)
   (द) रेखा पुत्री मोटा (धर्मपत्नि कन्हैयालाल) निवासी–सेणा हाल निवासी – सेवाडी तहसील– बाली जिला पाली (राज.)

4. डायाराम पुत्र ईब्बा उर्फ देवा जाति मीणा निवासी–नवासेणा तहसील बाली, जिला–पाली (राज.)

5. स्व. लच्छा पुत्र ईब्बा उर्फ देवा का.मु. वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण :–
   (अ) चेताराम पुत्र लच्छा
   (ब) चन्दाराम पुत्र लच्छा
   (स) जगाराम पुत्र लच्छा
   (द) रती पत्नि लच्छा जातिगण–मीणा निवासीगण–नवासेणा तहसील–बाली, जिला पाली (राज.)
   (य) मोहनी पुत्री लच्छा (धर्मपत्नि रमेश कुमार) जाति–मीणा निवासी– सैणा, तहसील बाली जिला पाली (राज.)
   (र) लीला पुत्री लच्छा (धर्मपत्नि कालूराम) जाति–मीणा निवासी– सेणा हाल निवासी–मालनू तहसील बाली जिला–पाली

6. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

<u>वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

माफिक राजीनामा दिनांक 19.04.2023 ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 253 व खसरा नंबर 255 कुल खसरा –2 कुल रकबा 1.23 हैक्टर में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान का संयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा (प्रतिवादी संख्या 1/1 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/2 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/3 का 1/18 हिस्सा) का खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावें। निर्णय व डिक्री अनुरूप रेकर्ड में अमल दरामद के लिए तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का सेणा को लिखा जावें। इसी कदर डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-10-23 को जारी किया गया।

मोहर

(श्री भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
बाली (उपखण्ड अधिकारी) बाली

तारीख पेशी १६-४-२०२३,

राजस्व मुकदमा सं० । २०२३,

सेवा में,

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदयजी,

बाली (राज०)

वादीगण : बनाम: प्रतिवादीगण :

श्रीमति म्ली व अन्य स्व०चूना पुत्र देवा के का०मु०

अशोक व अन्य

वाद अन्तर्गत धारा ८८, ८९, ५३, १८८ राज०कास्त०अधि०, १९५५

श्रीमान्जी,

उपरोक्त उनवान के मुकदमे में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं०१ १(१), १(२), १(३) की ओर से निम्न राजीनामा प्रस्तुत है :-

१- यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सेणा (बाहरी दोत्र) के ख०नं० २५३, रकबा ०-२५००है०२५३ दोत्रफल ०-१८०० है०में हम वादी सं०१ का १।६ हिस्सा, वादी सं०२ का १।६ हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं०१ का १।६ हिस्सा हैं-जो कि प्रतिवादी सं०१ के विधिक वारिसान १(१), १(२), १(३) का क्रमश: १।१८, १।१८, १।१८ हिस्सा हैं। उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाता है तो हमे कोई उज्र आपति नहीं हैं। यानि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि के १।२ हिस्से में हिस्से दर्ज करवाने संबंधी तथ्य कथन सही हैं।

अत: लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में उपरमापित राजीनामा के तहत डिक्री प्रदान करावें। खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करेंगें।

इति दि०१६-४-२०२३,